न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 110/2013

उनवान

1. बादामी पत्नी पन्ना जाति रेगर नि0 ग्राम नान्दला, नसीराबाद मृतक जरिये वारिस
1/1. कैलाश चन्द पुत्र पन्नालाल
1/2. गंगा देवी पुत्री पन्नालाल
1/3. मुकेश पुत्र पन्नालाल
1/4. सरोज पुत्री पन्नालाल
1/5. गीता पुत्री पन्नालाल
1/6. नीतू पुत्री पन्नालाल

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री राजेश सुकरिया

बनाम

1. नाथू पुत्र लादू,
2. रूकमा पत्नी लाला,
3. नारायण पुत्र नानू,
4. प्रेम पुत्री नानू,
5. रामकरण,
6. दूधा,
7. मंगल पि. नानू जाति गुर्जर नि. ग्राम नांदला, नसीराबाद,
8. माधु,
9. शंकर पि. भाला जाति गुर्जर नि. नि. धोला दांता मगरी, नसीराबाद,
10. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——- प्रतिवादीगण :– 1 से 9 अनुपस्थित
10 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– १.५.१५

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:44:16 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवे[illegible] किया [illegible] ग्राम नान्दला के वर्किंग खसरा नम्बर 1408 रकबा 1–16–10 [illegible] 0.30 की आराजी वादी की कयशुदा है। वादी ने प्रतिवादी [illegible] शन पुत्र लादू पर सि[illegible] न्यायालय में विक्रय पत्र पंजीयन करवाने का वाद पेश किया है। उक्त वाद सि[illegible] न्यायालय ने दिनांक 26.2.1994 को वादी के पक्ष में डिक्री पा[illegible] की तत्पश्चात माननीय

—–2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

[illegible] के आदेशानुसार दिनांक 29.01.2009 को उक्त आराजी का विक्रय पंजीयन वादी के पक्ष में सम्पन्न हुआ। उक्त आराजी के सह खातेदार किशन पुत्र लादू अविवाहित फौत हो गया है। हाल जमाबंदी बनाते समय प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के जरियें नामान्तकरण संख्या 355 दिनांक 5.11.2005 के अनुसार वसीयत से व तहसीलदार के पत्रांक/भू अभिलेख 05/2746 दिनांक 09.09.2000 की पालनार्थ सादुला पुत्र छोगा 1/4 हिस्से के स्थान पर नाम दर्ज कर दी जिसका अंकन करने का उन्हे कोई अधिकार नही था। वादी का उक्त आराजी पर दिनांक 22.12.88 से कब्जा चला आ रहा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 रूकमा पत्नी लाला ने 1/6 हिस्सा उक्त आराजी में वर्षो पूर्व ही कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। वादी को उक्त बेचान की जानकारी है। वाद जवाबकर्ता को हैरान परेशान करने के लिये पेश किया है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 8 व 9 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के नामान्तकरण सही हुआ है। अपने हिस्से की आराजी पर प्रतिवादीगण का वैधानिक कब्जा व काश्त है। वादी का आराजी मुतनाजा पर कब्जा नही है। हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण नही है।

राज0 पैराकार ने जवाब पेश किया।

शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वाद पत्र व जवाब के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की विधिक कयशुदा है ?

    -- वादी

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

    -- वादी

3. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?

    -- वादी

4. आया वादग्रस्त आराजी को वादीगण द्वारा कय नही किये जाने से वाद खारिज योग्य है?

    -- प्रतिवादीगण

5. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 से 7 विक्रय पत्र, राजस्व अभिलेख, न्यायालय आदेश पेश किये व वादी बादामी के बयान दर्ज करवाये।

वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 2, 8 व 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 6 [illegible] सम्वत 2066 से 69 में हाल खसरा नम्बर 1270 रकबा 0.30 की आराजी [illegible] 2/6 हि0, रूकमा पत्नी लाला 1/6 हि0, नानू पुत्र रामरतन 1[illegible] भाला 1/4 हि0 के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी के वर्किंग खसरा नम्बर 1[illegible] रकबा 1-16-10 वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 225/500 में नाथू, किशनगोपाल पि0 लादू 1/2 हि0, नानू पुत्र रामरतन 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:44:16 IST
Reason: SelfAttested

---3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

सादुला पुत्र छोगा 1/4 हि0 के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत सिविल न्यायालय के आदेश व विक्रय पत्र में प्रतिवादी/विक्रेता के रूप में सादुला पुत्र छोगा, नाथू किशन पुत्र लादू व गोपाल पुत्र लादू का नाम अंकित है। वर्किंग जमाबंदी में अंकित सादुला पुत्र छोगा के स्थान पर हाल राजस्व अभिलेख में रूकमा पत्नी लाला व माधु शंकर पि. लाला का नाम अंकन है। उक्त प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में अंकन किया है कि उनके द्वारा आराजी मुतनाजा का हिस्सा विधिवत कय किया है। किन्तु उनके द्वारा जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेज व साक्ष्य पेश नही किये है। उनके द्वारा आराजी मुतनाजा किस खातेदार से व कब कय की गयी यह सिद्व नही किया है। सिविल न्यायालय द्वारा जारी आदेश व विक्रय पत्र के अनुसार सादुला पुत्र छोगा, नाथू किशन पुत्र लादू व गोपाल पुत्र लादू के स्थान पर वादी का नाम दर्ज करने के आदेश है। अतः हाल राजस्व अभिलेख में अंकित नाथू किशन पि0 लादू 2/6 हि0, रूकमा पत्नी लाला 1/6 हि0, माधु शंकर पि. लाला 1/4 हि0 का हिस्सा वादी को दिया जाना उचित है। सिविल न्यायालय द्वारा नानू पुत्र रामरतन 1/4 हि0, का आदेश नही दिया गया है ना ही उसके हिस्से का विक्रय पत्र निष्पादित करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है। प्रतिवादीगण ने वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। वादी द्वारा प्रस्तुत सिविल न्यायालय का आदेश व विक्रय पत्र से आराजी मुतनाजा पर सादुला पुत्र छोगा, नाथू किशन पुत्र लादू व गोपाल पुत्र लादू के स्थान पर आराजी मुतनाजा वादी की विधिक कयशुदा सिद्व होती है। तनकी आंशिक रूप से बहक वादी सिद्व होती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा के विकय का आदेश माननीय सिविल न्यायालय द्वारा किया गया है जिसकी पालना में सादुला पुत्र छोगा, नाथू किशन पुत्र लादू व गोपाल पुत्र लादू के हिसे पर वादी के नाम विकय पत्र पंजीकृत किया गया। वर्किंग जमाबी में दर्ज खातेदार सादुला पि0 छोगा के स्थान पर हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2, 8 व 9 का नाम दर्ज कर दिया गया। उनके द्वारा जवाब पेश कर वाद का खण्डन किया गया किन्तु जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। सादुला पुत्र छोगा का हिस्सा न्यायालय आदेश से वादी के नाम विकय पत्र पूर्व में हो गया है। उक्त आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायलय में चाराजोही नही की गयी है। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख व वंर्किग जमाबंदी में दर्ज खातेदार नानू पुत्र रामरतन के हिस्से बाबत सिविल न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नही किया गय है। नानू पुत्र रामरतन अथवा उसके वारिसान को सिविल न्यायालय में पक्षकार भी नही बनाया गया था। अतः नानू पुत्र रामरतन का हिस्सा हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। शेष खातेदारो के स्थान पर वादी खातेदारी प्राप्ति की अधिकारणी है। तनकी आंशिक रूप से बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

आराजी मुतनाजा विधिक कयशुदा सिद्व होती है, जबकि प्रतिवादी ने अपने जवाब में विकय नही करने का कथन किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वादी नानू पुत्र रामरतन के हिस्से के अतिरिक्त शेष आराजी पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा सिद्व होता है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 8 से 9 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार निहित नही है। वादी आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 8 से 9 [illegible] पर खातेदारी अधिकार प्राप्ति के अधिकारी होने के कारण प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक वादी निर्णित होता है। उनके द्वारा बिना वजह वादी के कब्जे काश्त में [illegible] को अपूरणीय क्षति की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। [illegible] सुविधा का संतुलन भी बहक वादी सिद्व होता है। अतः वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1, 2 [illegible] 8 से 9 स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:44:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

...कारी है। तनकी आंशिक रूप से बहक वाद निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा पर वादी का विक्रय माननीय सिविल न्यायालय के आदेश से पंजीकृत किया गया। तनकी संख्या 2 द्वारा हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रतिवादीगण ने वाद के खण्डन हेतु कोई ठोस दस्तावेज व साक्ष्य पेश नही की। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य से वाद के कथनों की ताईद होती है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 1270 रकबा 0.30 की आराजी पर वादी का वाद आंशिक **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर नाथू, किशन पि0 लादू, रूकमा पत्नी लाला, माधु व शंकर पि0 भाला के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:44:16 IST
Reason: SelfAttested